

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 13/2023

तारीख रजू:-18.07.2023



जीसीएमएस नंबर:-2023/30

पीठासीन अधिकारी :-जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. सत्यप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति नाई निवासी ईसरदा.तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. नन्दकिशोर पुत्र चन्दालाल जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. भंवरी देवी पत्नि चन्दालाल जाति नाई ईसरदा.तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

वादीगण

बनाम

1. अमृतलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी विनायक लेन. माचिस फैक्ट्री रोड.रंगपुर रोड पुलिया के पास, डिडवाडा, कोटा जंक्शन।
2. कौशल्या पुत्री कन्हैयालाल पत्नि सुनील सिन्हा जाति नाई. निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी शिवनगर. दादी का फाटक.जयपुर।
3. सुनिल पुत्र कन्हैया जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी विकास विहार, टोंक।
4. पुष्पेन्द्र पारीक पुत्र बाबूलाल पारीक जाति ब्राम्हण निवासी मीणा मौहल्ला, ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार, लैण्ड होल्डर चौथ का बरवाडा।

प्रतिवादीगण


उपस्थित:-

वकीलप्रार्थीगण:- श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिप्रार्थी संख्या 1 व 2:-श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

दावा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा अन्तर्गत धारा 188 एवं 53 आर0टी0 एकट

निर्णय दिनांक 02.12.2025


उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

-: निर्णय :-

1. पूर्व में उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2024 द्वारा उभयपक्षों के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के हक व हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./स्था. /प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना करते हुए तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव इस न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था।
2. उक्त प्राथमिक डिक्री के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2478 दिनांक 27.10.2025 द्वारा मूल रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भिजवाई है, जो शामिल पत्रावली है।
3. वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया।
4. मैंने वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम का अवलोकन किया, साथ ही पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

-:आदेश:-

वदीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 636 रकबा 0.63 है0 एवं खसरा नंबर 997 रकबा 0.48 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 1.11 है0 एवं खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 3666 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नंबर 3667 रकबा 0.50 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.56 है0 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है-

क्र. सं.	खातेदारान का नाम	खाता संख्या	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
----------	------------------	-------------	----------------------	----------------	-------	------



1.	सुनील पुत्र कन्हैयालाल नाई (हिस्सा 1/9)	79	3667/1	0.062	बारानी-1	0.68
2.	अमृतलाल पुत्र कन्हैया लाल नाई सा0 देह	79	3667/2	0.062	बारानी-1	0.68
		78	636/1	0.07	बारानी-1	0.77
		78	997/1	0.0535	बारानी-1	0.58
3.	कौशलया पुत्री कन्हैयालाल नाई सा0 देह	79	3667/3	0.062	बारानी-1	0.68
		78	636/2	0.07	बारानी-1	0.77
		78	997/2	0.0535	बारानी-1	0.58
4.	भंवरी देवी पत्नि चन्दालाल नाई सा0 देह	79	3667/4	0.094	बारानी-1	1.02
		78	636/3	0.105	बारानी-1	1.15
		78	997/3	0.08	बारानी-1	0.88
5.	नन्दकिशोर पुत्र चन्दालाल नाई सा0 देह	78	636/4	0.385	बारानी-1	4.23
		78	997/4	0.299	बारानी-1	3.22
6.	सत्यप्रकाश पुत्र जगन्नाथ नाई (हिस्सा 1/2)	79	3666	0.06	बारानी-1	0.66
		79	3667/5	0.22	बारानी-1	2.42

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे बाद तकासमा पक्षकारान हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(जोगेन्द्र सिंह)
सुपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (क्र० मा०)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान चौथ का बरवाडा

1. सत्यप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. नन्दकिशोर पुत्र चन्दालाल जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. भंवरी देवी पत्नि चन्दालाल जाति नाई ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. अमृतलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी विनायक लेन. माचिस फ़ैक्ट्री रोड.रंगपुर रोड पुलिया के पास, डिडवाडा, कोटा जवर्शन।
2. कौशलया पुत्री कन्हैयालाल पत्नि सुनील सिन्हा जाति नाई. निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी शिवनगर दादी का फाटक.जयपुर।
3. सुनील पुत्र कन्हैया जाति नाई निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी विकास विहार, टोंक।
4. पुषेन्द्र पारीक पुत्र बाबूलाल पारीक जाति ब्राम्हण निवासी मीणा मौहल्ला, ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार, लैण्ड होल्डर चौथ का बरवाडा।



नम्बर मुकदमा 13 सन् 2023

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

वादीगण की ओर से श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से श्री हंसराज यादव, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 02.12.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा के खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 636 रकबा 0.63 है0 एवं खसरा नंबर 997 रकबा 0.48 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.11 है0 एवं खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 3666 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नंबर 3667 रकबा 0.50 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.56 है0 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदारान का नाम	खाता संख्या	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
1.	सुनील पुत्र कन्हैयालाल नाई (हिस्सा 1/9)	79	3667/1	0.062	बारानी-1	0.68
2.	अमृतलाल पुत्र कन्हैया लाल नाई सा0 देह	79	3667/2	0.062	बारानी-1	0.68
		78	636/1	0.07	बारानी-1	0.77
		78	997/1	0.0535	बारानी-1	0.58
3.	कौशलया पुत्री कन्हैयालाल नाई सा0 देह	79	3667/3	0.062	बारानी-1	0.68
		78	636/2	0.07	बारानी-1	0.77
		78	997/2	0.0535	बारानी-1	0.58

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा (सं0 ना0)

4.	भंवरी देवी पत्नि चन्दालाल नाई सा० देह	79	3667 / 4	0.094	बारानी-1	1.02
		78	636 / 3	0.105	बारानी-1	1.15
		78	997 / 3	0.08	बारानी-1	0.88
5.	नन्दकिशोर पुत्र चन्दालाल नाई सा० देह	78	636 / 4	0.385	बारानी-1	4.23
		78	997 / 4	0.299	बारानी-1	3.22
6.	सत्यप्रकाश पुत्र जगन्नाथ नाई (हिस्सा 1/2)	79	3666	0.06	बारानी-1	0.66
		79	3667 / 5	0.22	बारानी-1	2.42

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे बाद तकासमा पक्षकारान हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3 प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू० पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7 आदेशिका की तामील	00	00			
जोड	00	00	जोड	00	00



(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)